XXXIX (a)BR(H)-11 **राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर**

जिला–मण्डला

प्रकरण कमांक आर.2574–चार/02

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26–8–15 कैम्प जबलपुर	इस प्रकरण में दिनांक 9–12–03 के बाद से आवेदक की ओर से कई बार नोटिस देने के बाद भी कोई उप. नहीं हो रहा है । प्रकरण आदेशार्थ । सदस्य	
1–9–15	प्रकरण के अवलोकन से प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं हैं । अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो । सदस्य	

FIVE RUPEES FIVE RUPEES FIVE RUPEES

समक्ष न्यायालय राजस्व मंडल, ग्वालियर, कैम्प जबलपुर (म0प्र0)

R. 2574-IV/02

रिवीजन क्र. /2002

आवेदक /रिवीजनकर्ता सुन्दरलाल आत्मज चेतराम रजक,
निवासी-ग्राम हरिसिघोड़ी, प.ह. नं.-59
तह0 निवास, जिला-मंडला (म0प्र0)

बनाम

उत्तरवादी रमेश आत्मज नारायण प्रसाद शुक्ला,
निवासी-ग्राम बरमदाना, प.ह. नं.-59
तहसील निवास, जिला-मंडला (म0प्र0)

श्री अरुण नेमा अभि. द्वारा दिनांक 10-10-02 को जबलपुर कैम्प पर प्रस्तुत।
10-10-02
रीडर

रिवीजन अंतर्गत धारा-50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959

अ आवेदक/रिवीजनकर्ता यह रिवीजन न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय जबलपुर संभाग के प्रकरण क्र. 10/अ-6/2000-2002 सुन्दरलाल बनाम रमेश में पारित आदेश दिनांक 3/10/2002 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है।

:: रिवीजन के तथ्य ::

1. यह कि आवेदक ग्राम-(मौजा) हरीसिघोरी प.ह.नं. -59 ख.नं. 194/1, में स्थित जमीन 3.85, ख.नं. 236, में 0.40, ख.नं.-239/1, में 1.33, ख.नं. 280/1 में 0.52, ख.नं. 298/1, में 0.64, ख.नं. 327/1 में 3.00, अर्थात् कुल 9.89 एकड़ जमीन का मालिक एवं काश्तकार सन् 1951 से है।

2. यह कि उक्त जमीन पूर्व में श्री रामदत्त आत्मज टीकाराम के नाम से भू-अभिलेखों में दर्ज थी। जो बाहर रहते थे, इसलिए उक्त जमीन [redacted] आवेदक शिकमी काश्तकार के रूप में जोतते एवं बोते थे। श्री रामदत्त की मृत्यु सन् 1972, में हो गई थी उक्त जमीन उनके तीन पुत्र गनेश, महेश एवं उमेश के नाम से उनकी मृत्यु के पश्चात् राजस्व अभिलेख में दर्ज की गई एवं श्री गनेश प्रसाद के नाम से बटवारा में उक्त जमीन राजस्व अभिलेख में थी तब भी आवेदक उक्त जमीन में शिकमी काश्तकार के रूप में काबिज था एवं सन् 1974-75 में उक्त जमीन आवेदक के नाम से राजस्व अभिलेखों में आ गई थी।

OATH COMMISSIONER
शपथ आयुक्त
Smt. M S. Parmar
M.A. LL.B.
9/10/02
JABALPUR